संख्यांक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 542/2019

सरजीत सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति नाई निवासी सुन्दरपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 जगदेव सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति नाई निवासी सुन्दरपूरा हाल आबाद भगवानगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सुरतगढ

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग,राकेश कुमार सिहाग वकील वादी मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर व तहसीलदार (राजस्व) सुरतगढ को आदेशित किया जाता है कि:– (क) चक 2 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 36/36 मु.न. 51 कि.न. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 प्रतयेक में 0.253 है. नहरी कुल 2.530 है. नहरी, मु.न. 52 कि.न. 17, 18 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 23/3 में 0.020 हे. नहरी कुल 0.526 है. नहरी, मु.न. 53 कि.न. 9/1 में 0.063 है. नहरी, कि.न. 12 में 0.044 है नहरी कुल 0.107 है. नहरी कुल 3.163 है. नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

(ख) चक 2 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 36/36 मु.न53 कि.न. 12 में 0.209 है. नहरी, कि.न. 19 में 0.253 है. नहरी 0.462 है. नहरी आराजी एवं चक 23 एल जी डब्ल्यू "बी" तहसील सूरतगढ जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 58/57 प.न. 39/294 मु.न. 10 कि.न. 3 ता 8, 13/2, 14 ता 17, 24, 25 में 3.163 हे. नहरी मय खाला आराजी कुल खाता 3.163 है. नहरी मय खाला आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव चक 23 एल जी डब्ल्यू "बी" की आराजी से वादी का नाम कलमजन जाता है। उक्तानूसार ही वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 का खाता अलग कायम किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.10.19 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.22 17:55:44 IST
Reason: SelfAttested